

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठसीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 505/2024
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

प्रदीप पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम

1. राकेश पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से
प्रतिवादी की ओर से

:- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
:- श्री हिमांशु खारीवाल, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 2.9.2024

वादी प्रदीप ने प्रतिवादीगण राकेश वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत
घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1
आपस में सगे भाई हैं। जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। वादी एवं
प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 आई.डी.जी. के खाता
सं. 55/25 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में कुल खाता में से 2/3 हिस्सा
अर्थात् 2.1086 है। कृषि भूमि, तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 12 पी.
टी.पी. के खाता सं. 71/36 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में कुल खाता में से
1/3 हिस्सा अर्थात् 1.012 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चको के
खातों की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलग्न वाद पत्र है। यह कि वाद
पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की
संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित
है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में
बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 के अन्य लोगों के
प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने
के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता
पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1
के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा
में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:-

(क) वादी प्रदीप पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-
तहसील संगरिया के 12 पी.टी.पी. के खाता सं. 71/36 जमाबन्दी सम्वत्
2072-75 में कुल खाता में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 1.012 है। कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 राकेश पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा
तहसील संगरिया के चक 9 आई.डी.जी. के खाता सं. 55/25 जमाबन्दी सम्वत्
2072-75 में से 2/3 हिस्सा अर्थात् 2.1086 है। कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं
प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का
हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार
काशतकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद
पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की
संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित
है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने
की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 टाल मटोल
करता रहा, आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया। बस यही
वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के
बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया
गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवान
लगाता --2

महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दावा प्रस्तुत किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 9 आई.डी.जी. के खाता सं. 55/25 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 आई.डी.जी. के खाता सं. 55/25 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में कुल खाता में से 2/3 हिस्सा अर्थात् 2.1086 है। कृषि भूमि, तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 12 पी.टी.पी. के खाता सं. 71/36 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में कुल खाता में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 1.012 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 9 आई.डी.जी. के खाता सं. 55/25 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में कुल खाता में से 2/3 हिस्सा अर्थात् 2.1086 है। कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का नाम कलमजब किया जावे। तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 12 पी.टी.पी. के खाता सं. 71/36 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में कुल खाता में से 1/3 हिस्सा अर्थात् 1.012 है। कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजब किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तुरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 2.9.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 505/2024

पदीप पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

राकेश पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी मिन जामिन
मुदई श्री हिमांशु खारीवाल वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर
हुकूम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम से
तहसील संगरिया के चक 9 आई.डी.जी. के खाता सं. 55/25 जमाबन्दी सम्वत्
2072-75 में कुल खाता में से 2/3 हिस्सा अर्थात 2.1086 है. कृषि भूमि का
प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी का नाम कलमजन किया जावे।
तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 12 पी.टी.पी. के खाता सं. 71/36 जमाबन्दी सम्वत्
2072-75 में कुल खाता में से 1/3 हिस्सा अर्थात 1.012 है. कृषि भूमि का वादी
को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद
मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत्
निल..... खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
वसूलयाबी तकको अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 2.9.2024 को
जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया